

भारतीय रिजर्व बैंक

विनियमन विभाग
नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई¹
RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF REGULATION
NODAL REGIONAL OFFICE, CHENNAI



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या
No. **N-07-00909**

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

सिंघवी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड

को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the
Reserve Bank of India Act, 1934

SINGHVI FINTECH PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting
public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में दिसंबर दो हजार चौबीस की बीस तारीख को जारी किया गया।
Given under my hand at चेन्नई कार्यालय / Chennai Office
this Twentieth day of December Two Thousand Twenty Four



जी सुब्रमणियन / G Subramanian
महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक
General Manager / Deputy General Manager